नीतीश मिश्रा
पूर्व मंत्री
बिहार सरकार

सदस्य
बिहार विधान सभा

Ref: 271/2021
Dt-14-8-2021

आदरणीय मंत्री महोदय,

विषयः—सत्र 2021—23 के डी॰एल॰एड॰ कोर्स में नामांकन के लिए शास्त्री योग्यताधारी (संस्कृत) अभ्यर्थियों को आवेदन करने से वंचित कर देने के संबंध में।

निदेशक शोध एवं प्रशिक्षण शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 12/विविध—11/2016—274 दिनांक 29.7.2021 के द्वारा सत्र 2021—23 के डी॰एल॰एड॰ कोर्स में नामांकन की कार्रवाई हेतु आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें कंडिका (04) में शास्त्री योग्यताधारी (संस्कृत) को डी॰एल॰एड॰ कोर्स में नामांकन के पात्र नहीं माना गया है।

यदि संस्कृत अध्ययनरत छात्र प्रशिक्षण ही प्राप्त नहीं कर पायेंगे तो फिर बिहार शिक्षक नियमावली 2015 में उपशास्त्री, शास्त्री, आचार्य योग्यताधारी अभ्यर्थियों को शिक्षक पद पर नियुक्त करने की संभावना भविष्य में नहीं होगी।

अतः अनुरोध है कि संस्कृत अध्ययनरत छात्रों की समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये समुचित कार्रवाई करना चाहेंगे।

सादर,

भवदीय

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा) 14·8·21

सेवा में,
श्री विजय कुमार चौधरी जी,
माननीय मंत्री,
शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

112, कौटिल्य नगर, पटना 800014
Tel. : 0612 222 6263 Fax : 0612 222 5218 E-mail : nitishmishraoffice@gmail.com
/NitishMishraOfficial @mishranitish www.jhanjharpur.co.in